न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

मि0न0 — 02/2020

अनवान : —

1. नत्थूराम पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

:— प्रार्थी

ब ना म

1. इन्द्रसिंह पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम एवं 8(2) जनरल कॉलोनी, कौलोनाईजेशन एक्ट

उपस्थित:—श्री धर्मपाल बेरवाल वकील प्रार्थी

श्री रोहताश पारीक वकील अप्रार्थी

निर्णय दिनांक:— 17/03/2020

प्रार्थना पत्रा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 2 सीएचएन के खाता सं0 48/43 के मु0 न0 35 के किला न0 17/2 की 0.126है0, किला न0 18/2 की 0.161है0, किला न0 19/1 की 0.161है0, किला न0 20/1 की 0.160है0, किला न0 23, किला न0 24/1 की 0.198है0 मु0 न0 40 के किला न0 20 कुल 1. 3120है0 नहरी प्रार्थी नत्थूराम की खातेदारी दर्ज है।

तहसील भादरा के रोही चक 2 सीएचएन के मु0 न0 35 के किला न0 16/2 की 0.161है0, 17/1 की 0.035है0, 24/2 की 0.055है0, किला न0 25, मु0 न0 40 के किला न0 4, 5, 21 कुल रकबा 1.2630है0 नहरी 1.1870है0 गै0 म0 खाला 0. 0760है0 खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के खेत से गांव की आबादी में जाने के लिए मु0 न0 40 के किला न0 5 तक स्वीकृत शुदा रास्ता है उससे आगे अप्रार्थी की कृषि भूमि मु0 न0 35 के किला न0 25 दक्षिण से उतर 0.004है0 उससे आगे पश्चिम की ओर 0.013है0 व किला न0 24/2 में पूर्व से पश्चिक की ओर 0.0028है0 में जाकर अपनी कृषि भूमि किला न0 24/1 में प्रवेश करता है। और इसी रास्ता से प्रार्थी व अन्य कास्तकारान अपने खेतों की उपज उंट गाड़ा, टैक्टर ट्राली से लेकर अपने घरो में जाते है, आदि आदि तथ्यों का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 की ओर से राजीनामा एव 2 ने जवाब दावा पेश किया। साक्ष्य की ताहिद में प्रार्थी नत्थूराम पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

झांसल़ तहसील भादरा के बयान करवाये। व नक्शा चक 2 सीएचएन व जमाबंदी प्रदर्शित करवाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थी ने रोही मौजा चक 2 सीएचएन के मु0 न0 40 के किला न0 5 तक स्वीकृत शुदा रास्ता है उससे आगे अप्रार्थी की कृषि भूमि मु0 न0 35 के किला न0 25 दक्षिण से उतर 0.004है0 उससे आगे पश्चिम की ओर 0.013है0 व किला न0 24/2 में पूर्व से पश्चिक की ओर 0.0028है0 में से होकर किला न0 24/1 में प्रवेश करता है। चुंकि पक्षकारान आपस में भाई है और राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजार्थ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम एवं 8(2) जनरल कॉलोनी, कौलोनाईजेशन एक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 इन्द्रसिंह की कृषि भूमि चक 2 सीएचएन के मु0 न0 35 के किला न0 25 में दक्षिण से उतर 0.004है0 उससे आगे पश्चिम की ओर 0.013है0 व किला न0 24/2 में पूर्व से पश्चिक की ओर 0.0028है0 एक एक बिस्वा यानि सवा आठ फुट चौडाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आदेश आज दिनांक 17/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(मुकेश बारेठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकरी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़